



2026:AHC: 61439

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 4973/2026

परशुराम उर्फ परशराम

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: अरविंद सिंह परमार, वीरेंद्र सिंह परमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, रागिनी गुप्ता

न्यायालय संख्या-69

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद सिंह परमार के साथ श्री वीरेंद्र सिंह परमार, प्रत्यर्थी संख्या 4, बाल कल्याण समिति, जिला हमीरपुर की विद्वान अधिवक्ता सुश्री रागिनी गुप्ता और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री बी.पी. मौर्य को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से, विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना राठ, जिला हमीरपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 480 वर्ष 2025, बी.एन.एस. की धारा 74, 333, 351(3) और पाँक्सो अधिनियम की धारा 9/10 के अंतर्गत उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

3- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे पारिवारिक विवाद के कारण इस वाद में झूठा फँसाया गया है और आवेदक 10.11.2025 से कारागार में है, और यह वचन देता है कि यदि उसे रिहा किया जाता है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में वादों के भारी लंबन के मद्देनजर, विचारण के जल्द निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4- प्रत्यर्थी संख्या 4 की विद्वान अधिवक्ता ने जमानत के आवेदन का विरोध किया है और तर्क प्रस्तुत किया है कि पीड़िता की आयु लगभग 13 वर्ष है और उसे यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है और आवेदक को पीड़िता का बड़ा चाचा (ताऊ) बताया गया है।

5- विद्वान ए.जी.ए. ने भी जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचनादाता को नोटिस तामील करा दिया गया है।

6- एफ.आई.आर. में अभिकथन के अनुसार, आवेदक को प्रथम सूचनादाता का बड़ा चाचा बताया गया है और पीड़िता का उसके बड़े चाचा द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया है। आवेदक 10.11.2025 से कारागार में है।

7- तथ्यों की समग्रता, प्रकृति और अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य पर विचार करने पर और वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8- उपरोक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक- **परशुराम उर्फ परशराम** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये का एक व्यक्तिगत और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किया जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन के साक्षीगण पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें न ही डराएगा-धमकाएगा।

(iii) आवेदक (i) वाद शुरू होने खोलने, (ii) आरोप विरचित करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र दाखिल करेगा कि जब विचारण न्यायालय में साक्षी उपस्थित होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

9- उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10- यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के प्रयोजन तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से वाद के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में अन्वय नहीं किया जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

25 मार्च, 2026

आरकेएम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।